"उत्कृष्टता केंद्र"

की

मान्यता

के लिए

दिशा-निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
(09.08.2019 से प्रभावी और 31.05.2021 और 12.11.2021 को यथा संशोधित)

कौशलीकरण इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की पहल

1. परिचय

1.1 कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। उच्च स्तर और कौशल के बेहतर मानकों वाले देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारों में चुनौतियों और अवसरों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित होते हैं।

1.2 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) एक ऐसा निकाय है जो विशिष्ट क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम पद्धतियां, अनुसंधान, सहायता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। उत्कृष्टता केंद्र का शाब्दिक अर्थ है - 'एक ऐसा स्थान जहां उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाता है।'

1.3 कौशलीकरण इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र, प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि करने, उभरते कौशल अंतरालों को दूर करने और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान को संरेखित करने के लिए उद्योग के साथ सहभागिता से स्थापित/ कार्यरत वन स्टॉप रिसोर्स सेन्टर बनाने की परिकल्पना की गई है।

1.4 कौशल मांग-आपूर्ति बेमेलता को दूर करने के आशय से, कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति और सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा "उत्कृष्टता केंद्र" को मान्यता देने का प्रस्ताव है। यह पहल पहले से ही कौशल क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे ऐसे निकायों को प्रोत्साहित करेगी ऐसे प्रमुख उभरते क्षेत्रों में, जहां ज्ञान की कमी या कौशल अंतर है, ताकि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, "उत्कृष्टता केंद्र" को उद्यमशीलता शिक्षा इकोसिस्टम में भी मान्यता दी जा सकती है ताकि समान रूप से स्थापित निकायों को स्टार्ट-अप के इन्कयूबेशन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की खोज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और निधि जुटाने, तकनीकी, प्रबंधकीय और विपणन पहलू में सलाह/सहयोग दिया जा सके।

2. पृष्ठभूमि

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार- "राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालयों और संस्थानों को राज्यों के साथ साझेदारी में कौशल विकास और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में या तो नई संस्थाओं के रूप में या इसके मौजूदा विश्वविद्यालय परिदृश्य के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। यह वांछित है कि ये संस्थाएं देश भर के अन्य प्रमुख संस्थानों के रूप में उम्मीदवारों के लिए आकांक्षी बनें। ये संस्थाएं, सहयोगियों के माध्यम से उम्मीदवारों को कुशल बनाने और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, कौशल क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखते हुए कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और निष्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक शोध भी करेगीं।

2.2 प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विदेशी रोजगार के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिसमें संबंधित देश के सहयोग से भाषा प्रशिक्षण भी शामिल है। इसमें विनिमय कार्यक्रम, उद्योग के दौरे और अनुरूपता प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षकों को उनके घरों में आराम से प्रशिक्षित करने के लिए जहां भी व्यवहार्य हो, आईसीटी सक्षम प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, उद्योग द्वारा वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता के

अनुसार प्रशिक्षकों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए नवीनतम तकनीकी विकास में उपयुक्त प्रशिक्षण भी चलाया जाएगा।

कौशलीकरण इकोसिस्टम में "उत्कृष्टता केंद्र", संचालन के लिए मुख्य रूप से तीन मॉडल मौजूद हैं, जो **अनुबंध- I पर** उपलब्ध हैं।

3. उत्कृष्टता केंद्रों के कार्य

3.1 उत्कृष्टता केंद्र के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है:

- ✓ उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संचालित करना।
- ✓ कौशल विकास क्षेत्र के लाभ के लिए शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना।
- ✓ संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना और पेटेंट भरने और उन्हें स्थायी व्यावसायिक प्रस्तावों/समाधानों में परिवर्तित करने के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास और अन्य कार्यों के परिणामों का प्रसार करना।
- ✓ केंद्र की तकनीकी क्षमता, सूचना संरचना का उन्नयन करना।
- ✓ कार्यों और सुविधाओं के संदर्भ में रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना।
- ✓ मौजूदा अवसंरना को सुदृढ़ करके कार्यक्रमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक ठोस नया संस्थागत आधार स्थापित करना।
- ✓ संस्थानों/संगठनों की विभिन्न परियोजनाओं के सहयोग स्थापित करने में सरकारों, श्रमिकों, वाणिज्य मंडलों, शिक्षाविदों, उद्योग और अन्य औद्योगिक संघों के बीच देशों में संबंधों को बढ़ावा देना।
- ✓ क्षमता-निर्माण और परामर्श सहायता के लिए आस-पास के संस्थानों का नेटवर्क तैयार करना।
- ✓ अधिमानतः उद्यमशीलता प्रकोष्ठ की स्थापना करना।
- ✓ उद्यमशीलता शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के लिए स्टार्ट-अप को इन्क्यूबेशन/सलाह/सहायता प्रदान करना

4. एमएसडीई से उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें:

नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और एमएसडीई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किसी निकाय (सरकारी या निजी) विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन को उत्कृष्टता केंद्र के लिए मान्यता दी जाएगी।

4.1 अनिवार्य

क) उत्कृष्टता केंद्र प्रकाशनों, अनुसंधान परियोजनाओं, परामर्श कार्यों द्वारा यथा इंगित और कौशल विकास क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण और अकादमिक उत्कृष्टता या अत्याधुनिक अनुसंधान के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड सहित 5 वर्ष या उससे अधिक पुराना होना चाहिए और इसका करीबी उद्योग संपर्क होना चाहिए। इस स्थिति में छूट दी जा सकती है, यदि:

- ✓ उत्कृष्टता केंद्र जो विश्वविद्यालय (विशेष रूप से मौजूदा कौशल विश्वविद्यालय) या प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के भीतर स्थापित किया गया है, जहां बाद वाला प्रोत्साहन संस्था - कौशल विकास और संबंधित क्षेत्रों में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड सहित 5 वर्ष से अधिक पुरानी है; या
- ✓ उत्कृष्टता केंद्र जिसे उद्योग कौशल परिषद की ओर से अकेले चल सकने योग्य स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जो सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड सहित 5 वर्ष से अधिक पुराना है।

ख) इसके पास भूमि और भवन के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना होनी चाहिए, जिसमें अनुसंधान विद्वान, आधुनिक उपकरण, संयंत्र/मशीनरी खरीदने के लिए पर्याप्त धन शामिल है। उद्यमशीलता शिक्षा इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र के मामले में, सलाह/समर्थन तंत्र के लिए इसमें कार्यशील इन्क्यूबेशन सेन्टर मौजूद होना चाहिए।

ग) संस्थान के पास पर्याप्त/सक्षम जनशक्ति/अनुसंधान कर्मचारी होने चाहिए। उत्कृष्टता केंद्र मुख्य स्टाफ क्षेत्र में सक्षम होना चाहिए और ऐसे कौशल क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जिनमें उत्कृष्टता केंद्र काम कर रहा है।

घ) उत्कृष्टता केंद्र को उद्योग मानकों के अनुसार एनओएस/क्यूपी विकसित करने सहित कौशल प्रशिक्षण/उद्यमशीलता विकास और अनुसंधान सहायता प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय निकायों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को अतिरिक्त अर्हता लाभ मिलेगा।

ङ) इसे एनएसडीसी, डीजीटी और अन्य मंत्रालयों के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, साझेदारी कार्यक्रम चलाने में अधिमानत: बुनियादी स्तर का अनुभव होना चाहिए।

4.2 वांछनीय

क्र.सं.	क्षेत्र/प्रक्षेत्र/गुणवत्ता मानदंड	आवश्यकताएं
1	उद्योग इंटरफ़ेस (उद्योग के साथ सहयोग और जुड़ाव)	• उद्योगों के साथ सहयोग पर समझौता ज्ञापन, समझौते, उद्योग प्रतिक्रिया और प्रत्येक का विशिष्ट विवरण; • उद्योग की भागीदारी से सह-सृजित केंद्रों की संख्या; • छात्रों को उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में स्थानीय कंपनियों/व्यवसायों का विवरण।
2	अनुसंधान और विकास	• संचालित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या; • कोई पेटेंट या नवाचार; • परामर्शी कार्य।
3	संगठनात्मक संरचना/संस्थागत व्यवस्था/शैक्षणिक सामर्थ्य	• प्रत्येक हितधारक की सुपरिभाषित भूमिकाओं वाली संगठनात्मक संरचना;

क्र.सं.	क्षेत्र/प्रक्षेत्र/गुणवत्ता मानदंड	आवश्यकताएं
		• डीन/प्रमुख को उद्योग का दो दशकों से अधिक का अनुभव होना चाहिए; • शैक्षणिक/प्रशिक्षक कर्मचारियों के विवरण और स्थायी और संविदा आधार (50% से अधिक कर्मचारियों को स्थायी होना चाहिए) के संदर्भ में विभाजन; • क्षेत्र/अर्हता और स्कीमों के संबंधित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षक और छात्रों के अनुपात का अनुपालन किया जाना चाहिए।
4	अवसंरचना	• उत्कृष्टता केंद्र के विभिन्न घोषित कार्यों को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचे और नवीनतम औजारों और उपकरणों की आवश्यकता हैं। (मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्थल क्षेत्र अनिवार्य क्षेत्र है); • स्थान और उपकरण विनिर्देश विभिन्न अर्हताओं/ट्रेडों के संबंधित मान्यता मानदंडों के अनुसार होंगे जिनमें प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
5	प्रमुख हितधारकों (नियोक्ताओं, माता-पिता, छात्रों इत्यादि) को जानकारी प्रदान करने और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थन/संचार, संचार कार्यनीति/नियोजन कार्यों और प्रतिपुष्टि के आधार पर सेवा प्रदान करने की योजना बनाना।	• आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या; • विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए संचार कार्यनीति; • छात्रों के अलावा समूहों के साथ हाल ही में आयोजित (पिछले दो वर्षों में) बैठकों का विवरण।
6	छात्र सहायता/परामर्श सेवा	• क्या केंद्र में कोई छात्र सहायता/परामर्श सेवा है; • परामर्शदाता की अर्हता का विवरण।
7	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियमित समीक्षा करना कि शिक्षण उद्योग की पद्धतियों के लिए प्रासंगिक है, जिसमें यह पहचानना भी शामिल है कि शिक्षण कार्यक्रमों में नवीन शिक्षण, शिक्षण पद्धति/अभिनव अध्यापन को कहाँ शामिल किया जा सकता है)	• सुपरिभाषित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की लागू योजना ; • पिछले दो वर्षों में आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण।
8	इन्क्यूबेशन/सलाह सहायता	• इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित (उद्यमशीलता शिक्षा इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र के लिए यह आवश्यक शर्त होगी); • पिछले दो वर्षों में किन्हीं इन्क्यूबेशन परियोजनाओं का विवरण; • आस-पास के संस्थानों को दी गई नेटवर्किंग/सलाहकार सहायता के विवरण।
9	आईटी सहायता/तकनीक सहयोग	• छात्रों के प्रशिक्षण और क्रियाकलापों की निगरानी में आईसीटी का उपयोग।

क्र.सं.	क्षेत्र/प्रक्षेत्र/गुणवत्ता मानदंड	आवश्यकताएं
10	अद्यतन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता (शिक्षण संसाधनों की नियमित समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उद्योग प्रथायों के लिए प्रचलित और प्रासंगिक बने रहें, जिसमें यह पता लगाना शामिल है कि नवीन संसाधनों को शिक्षण कार्यक्रमों में कहाँ शामिल किया जा सकता है)	• शिक्षण पद्धतियों संसाधनों के लिए समीक्षा तंत्र मौजूद है।
11	समावेशी	•दिव्यांगों के लिए अवसंरचना और शिक्षण की तकनीक की उपलब्धता।

5. मान्यता:

5.1 उत्कृष्टता केंद्रों की मान्यता के लिए मंत्रालय में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह वो केंद्रीय समिति है, जो नीति को लागू करने के सभी पहलुओं, प्रक्रियाओं की स्थापना, नियम और शर्तों और इस पहल के अन्य पहलुओं को समय-समय पर और आवश्यक होने पर, देखती है। समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार उत्कृष्टता केंद्र के आकलन के लिए पैरामीटर और मानदंड निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। प्रस्ताव को स्वीकृत/मान्यता/अस्वीकार/रद्द/वापस लेने की शक्ति स्थायी समिति के पास होगी। प्रारंभ में, मान्यता पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है या किसी समय "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में मान्यता प्राप्त केंद्र की मान्यता रद्द होना हो तो, यह स्थायी समिति के स्तर पर रद्द हुई मानी जाएगी। एमएसडीई अपने विवेक पर, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए कार्य और समय अवधि में इसकी प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है। ***स्थायी समिति को दिशा-निर्देशों में यथा विहित निर्धारित समय अवधि के भीतर मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि समय-समय पर क्षेत्र का दौरा करने, प्रस्ताव का प्रारंभिक मूल्यांकन करने और स्थायी समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में आर्थिक और नीति प्रभाग इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार एनएसडीसी सहित मंत्रालय के अंतर्गत/संबंधित किसी भी संगठन के साथ समिति की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और केंद्र/राज्य सरकारों के तहत संस्थानों के मामलों में, जहां सदस्य निरीक्षण दल भी भेजा जा सकता है, को छोड़कर, दो या दो से अधिक अधिकारियों से मिलकर एक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा प्रत्येक निरीक्षण करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि नवीकरण/अस्वीकार/मान्यता रद्द करने का निर्णय 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व लिया जाए।***

6. प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

6.1 संभावित आवेदक निम्नलिखित पते पर ईमेल/डाक द्वारा नोडल अधिकारी को प्रस्ताव (सॉफ्ट कॉपी और वास्तविक प्रति दोनों) भेज सकते हैं:

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक और नीति विंग,

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय,
कमरा संख्या 201, द्वीतीय तल, पीटीआई बिल्डिंग,
4 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-2346 5841
ईमेल: santanu.mitra@nic.in
(प्रतिलिपि: om.thakur@gov.in, abhishek.meena88@gov.in)

6.2 उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता के लिए आवेदन **अनुबंध-II** में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ और प्रमाणपत्रों की प्रति **अनुबंध-III** के अनुसार हों। ***किसी भी प्रस्ताव पर विचार और प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों की समय-सीमा अनुबंध IV में दी गई है।***

7. दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

7.1 जैसा कि ऊपर वर्णित है, इसके अनुबंधों सहित संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 9 अगस्त, 2019 के दिशा-निर्देशों के तहत संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा देने सहित सभी कार्रवाई/निर्णय प्रभावी रहेंगे। ***ऊपर वर्णित समय-सीमा से कोई भी विचलन केवल स्थायी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जा सकता है।***

****

अनुबंध - I

उत्कृष्टता केंद्र के वर्तमान मॉडल

मॉडल 1: प्रशिक्षण संस्थान के भीतर केंद्र

संस्थान के भीतर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, जैसे विश्वविद्यालय (विशेष रूप से मौजूदा कौशल विश्वविद्यालय) या प्रशिक्षण प्रदाता, सबसे आम है। उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, या नई का निर्माण किया जा सकता है। एक बार उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित संस्थान को विशेषज्ञ/मास्टर प्रशिक्षकों को प्राप्त करके, मौजूदा सुविधाओं को अद्यतन करके, बाजार की आवश्यकता के अनुसार औजार, उपकरण और सुविधाएं प्राप्त करके, क्षेत्र-विशिष्ट मिश्रित शिक्षा की शुरुआत करके "अच्छे" से "महान" तक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, यह केंद्र निर्दिष्ट क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यों का मॉडल बन जाएगा। इस तरह की पहल नए केंद्र को कौशल क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा के साथ मौजूदा संस्थान की प्रतिष्ठा और संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। उत्कृष्टता केंद्र अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों, सरकार, क्षेत्र कौशल परिषदों और उद्योग निकायों के साथ साझेदारी कर सकता है और मौजूदा कौशल विश्वविद्यालय यदि मान्यता के मानदंडों को पूर्ण कर सकते हों तो इस मॉडल को अपना सकते हैं।

इस मामले में **<u>एक उदाहरण स्वरूप</u> आईआईएमबी** में सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (सीओई) है- स्वतंत्र जनहित-उन्मुख नीति थिंक टैंक है, जो अग्रणी अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में कार्यरत है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार (जीओआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आईआईएमबी की भारत में नीति-सोच दृष्टि और आचरण, नागरिकों और सार्वजनिक शासन की चिंताओं के लिए समान, समावेशी और टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी समझौते के माध्यम से यह केंद्र 2000 में स्थापित किया गया था।

मॉडल 2: स्टैंड-अलोन स्वतंत्र केंद्र

कुछ परिस्थितियों में, किसी ब्राउनफ़ील्ड या ग्रीनफ़ील्ड स्थल पर शुरू से ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है, जो किसी मौजूदा संस्थान से जुड़ा नहीं होता है। इसके लिए गहन पूंजी और मानव संसाधन निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी सुविधाओं, भर्ती, परिचालन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसमें अनेक वर्ष लग सकते हैं, इसलिए सकारात्मक प्रतिष्ठा को जल्द स्थापित करने की आवश्यकता है। सह-वित्तपोषण और केंद्र को प्रायोजित करने में उद्योग को शामिल करना अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। इन केंद्रों को व्यापक शासन या संगठनात्मक संरचनाओं से जोड़ा जा सकता है।

<u>उदाहरणार्थ,</u> किसी उद्योग कौशल परिषद द्वारा स्टैंड-अलोन केंद्र स्थापित किया जा सकता है जिसने प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की है, जिसका मौजूदा प्रदाताओं द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता है। नए केंद्र को उद्योग कौशल परिषद या इसी तरह के उद्योग निकाय से जोड़ने के अनेक लाभ हैं, जिसमें स्थापित शासन संरचनाओं का उपयोग करने की क्षमता और उद्योग और सरकार की नीति प्राथमिकताओं के साथ तत्काल संबंध शामिल हैं। इस मामले में उदाहरण है: टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और यूएनएफपीए ने युवाओं और किशोरों पर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। यह युवा लोगों की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और नीति समर्थन पर केंद्रित है।

मॉडल 3: उत्कृष्टता नेटवर्क

ये संगठनात्मक संरचनाएं या एजेंसियां हैं जो मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं को एक नेटवर्क में एक साथ लाती हैं। यह एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है जब अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदाता एक दूसरे से अलगाव में काम करते हैं या उद्योग के साथ सहयोग नहीं करते हैं।

नेटवर्क स्थापित करने में नई प्रशिक्षण सुविधाओं का वास्तविक निर्माण शामिल नहीं होता है। क्षमता निर्माण के प्रयास मौजूदा प्रदाताओं पर केंद्रित हैं। इनमें उपकरणों का उन्नयन, मानव संसाधनों को सुदृढ़ करना और एक मान्यता प्राप्त "किटमार्क" या गुणवत्ता का प्रमाणन प्रदान करना शामिल हो सकता है।

उत्कृष्टता के नेटवर्क यह सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम हो सकते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रावधान सरकारी नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। वे उन परिस्थितियों में भी विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जहां किसी विशेष क्षेत्र या उप-क्षेत्र के कौशल की आवश्यकता विविध होती है।
<u>उदाहरण:</u> सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स, चेन्नई, नेतृत्व बनाने, स्थिरता के लिए कार्यनीति, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन की पहचान और अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल बनने, रसद और विनिर्माण प्रबंधन में विश्व स्तरीय पद्धतियों को अपनाने के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है।

अनुबंध- II

<u>उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता के लिए प्रोफार्मा:</u>

1. संगठन का नाम:
2. ई-मेल और दूरभाष संख्या के साथ पता:
3. पंजीकरण संख्या और तिथि:
4. पिछले 5 वर्षों की संगठन की वर्षवार वित्तीय स्थिति; आय और व्यय:
5. क्या संगठन का अपना भवन है यदि हां, तो उस स्थान के उपकरण, वाहन इत्यादि के साथ उपलब्ध अवसंरचना का विवरण दें, जिसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी जानी है:
6. उत्कृष्टता केंद्र में कार्यरत कार्मिकों के विवरण/प्रोफाइल:
7. विस्तृत औचित्य के साथ स्थापित उत्कृष्टता केंद्र के उद्देश्यों के विवरण:
8. क्या उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार/वित्तपोषण एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
9. उत्कृष्टता केंद्र द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान मेधावी उपलब्धियों/पुरस्कारों इत्यादि का ट्रैक रिकॉर्ड:
10. उत्कृष्टता केंद्र का वांछनीय निष्पादन जिसके लिए मान्यता मांगी गई है:

क्र.सं.	**विवरण**	**ब्योरा**
1	• उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन/समझौते • उद्योग भागीदारी के साथ सह-सृजित केंद्रों की संख्या • छात्रों को उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने में स्थानीय कंपनियों/व्यवसायों को शामिल करना	
2	• पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं/परामर्श कार्यों की संख्या	
3	• प्रत्येक हितधारक की सुपरिभाषित भूमिकाओं वाली संगठनात्मक संरचना • डीन/प्रमुख को उद्योग का दो दशकों से अधिक का अनुभव होना चाहिए • अकादमिक/प्रशिक्षक कर्मचारी और स्थायी और संविदा के आधार पर विभाजन (50% से अधिक कर्मचारियों को स्थायी होना चाहिए) • छात्रों के लिए प्रशिक्षक का अनुपात	
4	• उत्कृष्टता केंद्र के विभिन्न घोषित क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना और नवीनतम औजार, उपकरण	
5	• आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या • विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए संचार कार्यनीति	

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
	• हाल ही में (पिछले दो वर्षों में) छात्रों के अतिरिक्त समूहों के साथ हुई बैठकों के विवरण	
6	• उपलब्ध छात्र सहायता/परामर्श सेवा	
7	• पिछले दो वर्षों में आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के विवरण	
8	• इन्क्यूबेशन सेन्टर, यदि कोई हो • पिछले दो वर्षों में किन्हीं इन्क्यूबेशन परियोजनाओं के विवरण • आस-पास के संस्थानों को दी गई नेटवर्किंग/ सलाहकार सहायता के विवरण	
9	• प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता • अद्यतन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता	
10	• उत्कृष्टता केंद्र द्वारा नियोजित पेशेवर कर्मचारियों की संख्या (पूर्णकालिक/अंशकालिक और संविदात्मक)	

संगठन के महासचिव/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी/प्रोप्राइटर
का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर के साथ

अनुबंध- III

1. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

i. अनुबंध- II के अनुसार आवेदन
ii. प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की दो प्रतियां
iii. गैर-सरकारी संगठन/संस्थान के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसोसिएशन के ज्ञापन और संगठन के उपनियमों की सत्यापित प्रतियां
iv. पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित विवरण की सत्यापित प्रति
v. विशेष रूप से कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित पिछले क्रियाकलापों का एक नोट
vi. उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रकाशनों की सूची, यदि कोई हो
vii. प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र के क्षेत्र में काम करने के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का समर्थन करने वाले दस्तावेज़

2. आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. हम उत्कृष्टता केंद्र के दिशानिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे
2. हम ऐसी आवधिक/विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो एमएसडीई और उसके संबद्ध कार्यालयों द्वारा अपेक्षित हो
3. एमएसडीई अपने विवेक से, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए कार्यों और समय अवधि में इसकी प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है।
4. अधोहस्ताक्षरी प्रदान की गई जानकारी और प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और इस संबंध में किसी भी चूक के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. कौशल विकास परियोजनाओं के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा

संगठन के महासचिव/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी/प्रोप्राइटर
का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर के साथ

अनुबंध– IV

क्र.सं.	***आवेदन की प्रक्रिया/चरण***	***समयसीमा***
1.	***व्यक्तिगत कौशल विश्वविद्यालय/संस्थानों/संगठन द्वारा आवेदन जमा करना***	
2.	***प्रस्तुत प्रस्ताव का मंत्रालय द्वारा सत्यापन***	***20 दिन***
3.	***मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन/दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कोई हो ****	***आवेदन जमा करने की तिथि से 20 दिन के भीतर***
4.	***उपयुक्त प्रस्ताव स्थल का दौरा***	***दस्तावेजों के सत्यापन के 25 दिन***

		के भीतर।
5.	*दौरा स्थल की रिपोर्ट प्रस्तुत करना*	*स्थल का दौरा करने की तिथि से 10 दिन के भीतर*
6.	*सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक*	*स्थल का दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के भीतर।*

** अपूर्ण आवेदनों के मामले में या जहां मंत्रालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है, उत्कृष्टता केंद्र प्रस्ताव को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा पूर्ण प्रस्ताव के पुन: प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होगी।*

- *उत्कृष्टता केंद्र का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिन के भीतर बंद कर दिया जाएगा। इस अधिकतम समय सीमा में असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष, स्थायी समिति के अनुमोदन से ही छूट दी जा सकती है। स्थायी समिति तिमाही में एक बार सभी लंबित मामलों पर विचार करने का प्रयास करेगी, जो संबंधित आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन से अधिक नहीं होगी।*